

अध्याय 5 पर्यावरणीय पहलू

कच्चे तेल की रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से जुड़े संभावित पर्यावरणीय मामलों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, अपशिष्ट जल तथा अन्य हानिकारक सामग्रियां सम्मिलित हैं।

कम्पनी ने ईंधन कटौती को सुनिश्चित करने, वायु उत्सर्जन को प्रबंधित करने, जल संरक्षण तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु प्रणालियों को अपनी प्रक्रिया में पर्यावरणीय-अनुकूल प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने सामान्य तौर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मानदण्डों का अनुपालन किया था। हालांकि, इसमें आगे सुधार की गुंजाइश थी जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

5.1 फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम की संस्थापना न होना

कम्पनी रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक गैसों का उत्पादन करती है तथा उन्हें निस्तारित करती है। चरण III विस्तारण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देते समय, एमओईएफ ने कम्पनी को हाइड्रोकार्बन हानि तथा पर्यावरण के लिए आपत्तिजनक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए फ्लेयर गैस रिकवरी सिस्टम (एफजीआरएस) संस्थापित करने का निर्देश दिया था (अप्रैल 2008)। हालांकि, कम्पनी ने चरण III प्रक्रिया इकाई काम्प्लेक्स से फ्लेयरिंग डाटा की अनुपलब्धता बताते हुए डिजाइन चरण में एफजीआरएस के संस्थापन को स्थगित किया जबकि, एफजीआरएस के लिए ₹ 20 करोड़ का बजट आबंटित किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम्पनी ने एफजीआरएस की संस्थापना किए बिना चरण III विस्तारण (मार्च 2012 से जून 2015) के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों को चालू किया जो एमओईएफ द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के अनुपालन में नहीं था। आगे यह भी देखा गया कि कम्पनी ने 7 वर्षों के विलम्ब के पश्चात् ₹ 30 करोड़ की अनुमानित लागत पर एफजीआरएस को संस्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की (सितम्बर 2015) जिसके लिए इसने इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में मेकॉन का चयन किया (मई 2016)। हालांकि, इसे एफजीआरएस के संस्थापन हेतु आदेश अभी दिया जाना है (नवम्बर 2016)।

इस प्रकार, कम्पनी एमओईएफ द्वारा दी गई पर्यावरणीय मंजूरी के प्रावधानों का अनुपालन करने में न केवल विफल हुई अपितु उसने फ्लेयर गैस की रिकवरी के अवसर को भी गंवा दिया जिसे ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जा सकता था जिसका मौद्रिक प्रभाव मार्च 2016 में समाप्त पांच वर्ष की अवधि हेतु ₹67 करोड़ था।

कम्पनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि वह वास्तविक फ्लेयर परिचालन डाटा की अनुपलब्धता के कारण फ्लेयर रिकवरी सिस्टम का डिजाइन नहीं बना सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डाटा की अनुपलब्धता के कारण पर्यावरणीय मंजूरी के प्रावधान का गैर-अनुपालन एक न्यायोचित वजह नहीं हो सकती।

मंत्रालय के साथ एग्जिट कान्फ्रेंस (जून 2017) में, कम्पनी ने सूचित किया कि एफजीआरएस की संस्थापना प्रक्रियाधीन है तथा इसका दिसम्बर 2017 में संस्थापित होना अपेक्षित था।

5.2 हरित क्षेत्र का विकास न होना

चरण III विस्तारण परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देते समय, एमओईएफ ने कम्पनी को स्थानीय वन विभाग से जुड़कर हरित क्षेत्र विकास हेतु 33 प्रतिशत परियोजना समर्पित करने का निर्देश दिया (अप्रैल 2008)। कम्पनी ने संभावित अस्थायी उत्सर्जनों को कम करने, ध्वनि प्रदूषण, मृदा संरक्षण को नियंत्रित करने तथा रिफाइनरी परिसरों में सौंदर्यपूर्ण वातावरण के सृजन हेतु हरित क्षेत्र बनाने के लिए 120 एकड़ भूमि निर्धारित की (सितम्बर 2010) जिसके लिए कम्पनी ने 4-5 वर्षों की अवधि में ₹2.10 करोड़ का व्यय अनुमानित किया। इस संदर्भ में वर्ष 2011-2016 के दौरान परियोजना आरम्भ करने के लिए राज्य वन विभाग (एसएफडी) को ₹1.91 करोड़ के लिए एक कार्य आदेश जारी किया गया (मार्च 2011)। वृक्षारोपण कार्य को सितम्बर 2013 तक पूरा किया जाना था तथा अनुरक्षण कार्य को मार्च 2016 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएफडी ने वर्ष 2011-13 के दौरान केवल 5.30 एकड़ भूमि को कवर करते हुए 1,759 पौधे लगाए थे तथा इसमें इसके बाद कोई कार्य नहीं हुआ।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि चरण III परियोजना हेतु भूमि के उपयोग के कारण हरित क्षेत्र हेतु भूमि का अभाव था। कम्पनी ने आगे कहा कि वह हरित क्षेत्र के संवर्धन हेतु 27 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर रही है।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

5.3 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में विलम्ब

डिलेड कोकर यूनिट (डीसीयू) मूल्यवान डिस्टीलेट तथा पेट्रोलियम कोक (पेट कोक) उत्पादित करती है। पीट कोक की ढुलाई सीलोज (3x1000 एमटी) के माध्यम से ओपन कोक ले डाउन एरिया तथा ट्रक लोडिंग सुविधा के लिए एक बन्द वाहक सिस्टम द्वारा की जाती है। इसी प्रकार, सल्फर रिकवरी यूनिट (एसआरयू) में उत्पादित सल्फर को खुले आंगन में तथा 6 सीलोज में संग्रहीत किया जाता है।

वर्ष 2014 तथा 2015 के दौरान, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) ने चरण III कोक यार्ड तथा सल्फर यार्ड से धूल उत्सर्जन तथा सतही जल संदूषण के संदर्भ में कम्पनी को विभिन्न कारण बताओ ज्ञापन जारी किए। केएसपीसीबी ने धूल प्रदूषण से बचने के लिए कोक यार्ड तथा सल्फर यार्ड को कवर करने की सलाह दी (मार्च 2015)। केएसपीसीबी ने कोक यार्ड में वाश वाटर के संग्रहण तथा पुनर्चक्रण करने के लिए स्थायी व्यवस्था प्रदान करने की भी सिफारिश की ताकि निलंबित कणिकीय पदार्थ वाले वाश वाटर को उस प्राकृतिक नाले के आस-पास से प्रवाहित न होने दिया जाए जो आस-पड़ोस के गांवों से गुजरता है।

अतः कम्पनी ने पीट कोक के लिए उचित वाहक संयोजकता तथा अनलोडिंग सुविधा, कोक यार्ड में उपयुक्त वाश वाटर प्रबंधन सुविधा तथा ₹ 52 करोड़ की लागत पर सल्फर यार्ड में कवर किए गए शेड के साथ प्रत्येक में 3,000 एमटी के तीन अतिरिक्त सिलोस अथवा 1,000 एमटी के पांच नए सिलोस की संस्थापना का प्रस्ताव दिया (सितम्बर 2015)। हालांकि, एक से अधिक वर्ष के उपरान्त उक्त सुविधाओं के निर्माण हेतु ठेका अभी दिया जाना था (नवम्बर 2016)। इसके परिणामस्वरूप इन इकाईयों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण जोखिमों को कम नहीं किया गया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उसने जल तथा वायु प्रदूषण के सम्मिश्रण से बचने के लिए केएसपीसीबी द्वारा उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने के सभी प्रयास किए।

तथ्य यह है कि मार्च 2015 में केएसपीसीबी द्वारा की गई किसी भी सिफारिश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया (नवम्बर 2016)।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

5.4 जल स्रोतों का अपर्याप्त सृजन तथा प्रबंधन

रिफाइनरी को कच्चे तेल को प्रसंस्करण करने के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता है। कम्पनी को जल के अभाव के कारण अप्रैल 2012 (12 अप्रैल 2012 से 27 अप्रैल 2012) में अपनी रिफाइनरी बन्द करनी पड़ी।

चूँकि कम्पनी ने केएसपीसीबी के परामर्श पर (अप्रैल 2014), अपने उत्पादन की सभी प्रसंस्करण स्थितियों के लिए जल खपत हेतु कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किया था, अतः इसने चरण I तथा II के लिए अपनी रिफाइनरी में एक व्यापक जल लेखापरीक्षा अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादन परिषद (एनपीसी) से अनुरोध किया।

एनपीसी ने स्रोत से जल अन्तर्ग्रहण कम करने के लिए तथा पम्पिंग लागत, विखनिजीकरण लागत को कम करने के लिए जल संरक्षण तथा एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट पर लोड करने के लिए संयंत्र में संघनन रिकवरी को बढ़ाने की सिफारिश की (नवम्बर 2014)। इसने वर्षा जल की रिकवरी करने के लिए चार स्थानों की पहचान की। इसने तूफानी वर्षा जल हार्वेस्टिंग तकनीक के नियोजन और अदुषित तूफानी वर्षा जल के केचर करने के लिए उचित प्रणालनीकरण और वर्षा जल को नालियों में न जाने देने की सिफारिश भी की।

कम्पनी को उक्त सिफारिशों पर अभी कार्रवाई करनी थी (नवम्बर 2016)।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि वह एक विलवणन संयंत्र की स्थापना के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन कर रही थी तथा सद्दूषण जल के तृतीयक ट्रीटमेंट के लिए एक रिवर्स ओसमोसीस यूनिट की स्थापना के लिए कार्रवाई आरम्भ कर रही थी। इसके अलावा, कम्पनी ने कहा कि वे बेहतर पद्धतियों अथवा बेहतर उपलब्ध तकनीकों का उपयोग करके या तेल क्षेत्र में बेहतर निष्पादकों द्वारा प्राप्त जल फुट प्रिंट का चयन करके जल फुट प्रिंट बेंचमार्क स्थापित करेगी।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

5.5 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में भागीदारी न होना

क्योटो प्रोटोकॉल में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) ने एक स्तर पर पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस संकेन्द्रणों का स्थिरीकरण करने के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) अवधारणा प्रस्तुत की जो जलवायु सिस्टम के साथ खतरनाक हस्तक्षेप से बचाएगी। चूँकि भारत क्योटो प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता है, अतः भारत सरकार ने नैशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथारिटी (एनसीडीएमए) की स्थापना की (अप्रैल 2004) ताकि सस्थाएं चाहे निजी/सार्वजनिक या गैर-सरकारी हो, सभी सीडीएम प्रक्रिया में भाग ले सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी के पास अपनी किसी परियोजना को पंजीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं था जो उस 'सर्टिफाइड एमीशन रिडक्शन' (सीईआर) क्रेडिट के रूप में सीडीएम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संभावित था जो व्यापार योग्य है।

कम्पनी ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि वह परियोजनाओं के लिए सीडीएम के तहत पंजीकरण करने की आवश्यक कार्रवाई आरम्भ करेगी।

मंत्रालय ने कोई उत्तर नहीं दिया।

